

मंत्रिमंडलीय समितियों में नयिकृति

प्रलिस के लयः

[मंत्रिमंडलीय समतियों](#), [लोकसभा अधयकष](#), [संसद सदस्य](#), [प्रधानमंती](#), [स्थायी समतियों](#)

मेन्स के लयः

मंत्रिमंडलीय समतियों के लय चुनौतियों, मंत्रिमंडलीय समतियों के लय सुझाव

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समतियों का गठन कयः, जसमें आर्थक मामलों की मंत्रिमंडलीय समति (CCEA) में तीन नए सदस्य शामिल कय गए तथा मंत्रिमंडलीय नयिकृति समति (ACC) तथा सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समति (CCS) में कोई बदलाव नहीं कय गया ।

- एक अनय घटनाक्रम में, लोकसभा अधयकष द्वारा संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण नयिमें में संशोधन कयः है, जसके तहत सदन के सदस्य के रूप में शपथ के दौरान उन्हें कसी भी टपिणी करने से रोका गया है ।

मंत्रिमंडलीय समतियाँ कया हैं?

- परचयः**
 - मंत्रिमंडलीय समतियाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक उपसमूह है, जसमें चयनति केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं ।
 - इन समतियों की स्थापना वभिन्न समूहों, जैसे आर्थक मामलों, सुरक्षा, संसदीय मामलों एवं राजनीतिक मामलों से नपिटने वाले समूहों के बीच जमिेदारियों को वभाजति करके नरिणय लेने की प्रकरया को सुवयवस्थति करने के लयि की जाती है ।
 - वे जटलि मुद्दों पर वसितुत वचार-वमिर्श करते हैं तथा उनका कुशलतापूर्वक नपिटान सुनशिचति करते हैं, जनिहें अंतमि अनुमोदन के लयि पूरण मंत्रिमंडल के समकष प्रसुतुत कयः जाता है ।
 - वे श्रम वभाजन तथा प्रभावी प्रत्यायोजन के सदिधांतों पर आधारति हैं ।
- प्रकारः**
 - स्थायी (स्थायी प्रकृति)
 - तदर्थ (वशिष समस्याओं के समाधान हेतु अस्थायी प्रकृति)
- मंत्रिमंडलीय समतियों की वशिषताएँ:** वे प्रकृति में संवधानेत्तर हैं और कार्य-नयिम उनकी स्थापना का प्रावधान करते हैं ।
 - भारत में कार्यपालकिा भारत सरकार कार्य संचालन नयिम, 1961 के अंतर्गत कार्य करती है ।
 - ये नयिम संवधान के अनुच्छेद 77(3) के अनुसार हैं, "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधकि सुवधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लयि नयिम बनाएगा ।"
- सदस्यता:**
 - इनहें प्रधानमंती द्वारा समय की आवश्यकताओं और परस्थिति के अनुसार स्थापति कयः जाता है ।
 - इनकी सदस्य संख्या तीन से आठ तक होती है । इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं । हालाँकि गैर-कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता से वंचति नहीं कयः जाता है ।
 - इनमें न केवल अपने अधीन आने वाले वषियों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं, बल्कि अनय वरषिट मंत्री भी शामिल होते हैं ।
 - यदि प्रधानमंती कसी समति के सदस्य है, तो वे अनविरय रूप से इसकी अधयकषता करते हैं ।
 - वे न केवल मुद्दों को सुलझाते हैं और कैबिनेट के वचार के लयि प्रस्ताव तैयार करते हैं, बल्कि नरिणय भी लेते हैं । हालाँकि कैबिनेट उनके नरिणयों की समीकषा कर सकता है ।
- 8 मंत्रिमंडल समतियाँ (Cabinet Committee) की सूची:**
 - आर्थक मामलों की कैबिनेट समति (CCEA)
 - कैबिनेट की नयिकृति समति (ACC)

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)
 - आवास पर कैबिनेट समिति
 - संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सुपर-कैबिनेट के रूप में संदर्भित)
 - राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति
 - नविश और विकास पर कैबिनेट समिति
 - कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति
- **हाल में हुए परिवर्तन:**
- गृह मंत्री इन सभी समितियों में शामिल होने वाले **एकमात्र कैबिनेट सदस्य** हैं।
 - आवास समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर **सभी छह समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री** हैं।
 - नियुक्ति समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, **जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं** और जिसमें **गृह मंत्री एकमात्र सदस्य** हैं।

संसदीय समितियाँ

- **संसदीय समितियाँ विशेष समितियाँ** होती हैं, जो संसद के वसित्तुत कार्यों को संभालने के लिये गठित की जाती हैं, जो प्रायः इतना जटिल और व्यापक होता है कि उसे सदनों की पूर्ण बैठकों में पूरा नहीं किया जा सकता।
- वे वशिष्टित मामलों में वसित्तुत जाँच, चर्चा और जाँच सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं। संसदीय समितियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे **स्थायी समितियाँ, विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs)** आदि।

मंत्रियों के समूह

- ये तदर्थ निकाय हैं जो कुछ **आकस्मिक मुद्दों और गंभीर समस्या क्षेत्रों पर मंत्रिमंडल** को सफारिशें देने के लिये गठित किये गए हैं।
- इनमें से कुछ **मंत्रि समूह मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने के लिये** अधिकृत हैं, जबकि अन्य मंत्री कैबिनेट समितियों को सफारिशें करते हैं।
 - मंत्रिसमूहों की संस्था मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी बन गई है।
- संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को संबंधित मंत्री समूह में शामिल किया जाता है और जब सलाह स्पष्ट हो जाती है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों हेतु शपथ ग्रहण नियमों में कथि संशोधन:

- सदन के कामकाज से संबंधित वशिष्टित मामलों को प्रबंधित करने के लिये 'अध्यक्ष द्वारा निर्देश' के अंतर्गत 'निर्देश 1' में एक नया खंड जोड़ा गया है, जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
- 'निर्देश 1' में संशोधन के अनुसार, **नए खंड 3 में कहा गया है कि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग कथि बना शपथ लेगा और प्रतज्ञान करेगा।**

कैबिनेट समितियों की चुनौतियाँ क्या हैं?

- ओवरलैपिंग जनादेश: इससे देरी, अक्षमता और समितियों के बीच संघर्ष होता है क्योंकि वे नियंत्रण के लिये लड़ते हैं। प्रस्ताव में रुकावट आ जाती है जिससे निर्णय लेने में देरी होती है।
- विशेषज्ञता की कमी: स्वास्थ्य सेवा नीति पर **केंद्रित समिति में चकित्सा पेशेवरों की कमी हो सकती** है। इससे गलत निर्णय लिये जा सकते हैं और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञों की कमी के कारण दीर्घकालिक नीतितगत परिणाम हो सकते हैं।
- सूचना साइलो और खराब संचार: समितियाँ अलग-थलग होकर काम कर सकती हैं, सूचना साझा नहीं कर सकती या सहयोग नहीं कर सकती। इससे अस्पष्टता पैदा होती है तथा समग्र दृष्टिकोण में बाधा आती है। इससे प्रयासों में पुनरावृत्ति होती है, **तालमेल के अवसर चूक जाते हैं और सीमिति सूचना के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं।**
- राजनीतिक दबाव और अल्पकालिकता: राजनीतिक विचार समितियों को दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के बजाय **अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित** कर सकते हैं। इससे **सक्रिय समाधानों के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपाय** हो सकते हैं।
- जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव: लिये गए निर्णयों को छपाया नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे विश्वास में कमी आती है। समितिकी गतिविधियों और निर्णयों के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना **विधायिका उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकती।**
- सत्ता का संकेंद्रण: यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल कुछ समितियों या व्यक्तियों के पास होगा तो मूल्यवान मत के बहिष्कृत होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लिये गए निर्णय **असंतुलित हो सकते हैं।** यह संभव है कि महत्त्वपूर्ण मत की अनदेखी हो जाएगी जिससे संभावित रूप से **सृजनात्मक समाधानों की उपेक्षा** हो सकती है और असंतुष्ट पक्षों में **आक्रोश उत्पन्न** हो सकता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट अधिदेश:** किसी भी प्रकार की संशयात्मक स्थिति से बचने के लिये **समितियों के अधिदेशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।** अंतर-समिति विवादों के लिये एक **केंद्रीय संघर्ष समाधान निकाय** की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- **विशेषज्ञ नियुक्ति:** सलाहकार या अस्थायी समिति सदस्यों के रूप में **विषय वस्तु विशेषज्ञों** की नियुक्ति की जानी चाहिये। विशेष ज्ञान

हेतु वदिशी प्रबुद्ध मंडलों के साथ साझेदारी की जा सकती है।

- बेहतर सूचना साझाकरण: सभी समितियों के लिये एक केंद्रीकृत सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म स्थापति करने की आवश्यकता है। सहयोग को बढ़ावा देने के लिये नियमति अंतर-समिति पत्रसार (Briefings) कथि जाना चाहयि।
- दीर्घकालिक लक्ष्य: समितियों को अल्पकालिक कार्रवाई के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएँ बनाने हेतु अधदिश दथि जाना चाहयि। नरिणय लेने की प्रकरयि में नषिपक्ष आर्थकि या सामाजकि प्रभाव आकलन को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- जवाबदेहति: नियमति रूप से बैठक का कार्यवविरण और सारांश जारी करना जवाबदेहति सुनशिचति करता है।
- व्यापक-आधारति परामर्श: परामर्श अधकि व्यापक-आधारति होना चाहयि। अन्य कैबनिट सदस्यों को वशिष आमंत्रण देकर आमंत्रति कथि जाना चाहयि।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

मंत्रमिंडलीय समतियिों की भूमकि और महत्त्व की वविचना कीजयि। नीतिके नरिमाण और इसके कारयान्वयन में उनकी प्रभावकारति बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न सचविलय मंत्रमिंडल का नमिन में से कय है? (2014)

1. मंत्रमिंडल बैठक के लिये कार्यसूची तैयार करना।
2. मंत्रमिंडल समतियिों को साचविकि सहायता।
3. मंत्रालयों को वत्तितीय संसाधनों का आवंटन।

नीचे दथि गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालकि की जवाबदेही को नशिचति करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021)